SHRI JASWANT SINGH: Do me the courtesy of letting me finish. Perhaps, then you would be better able to answer what I am asking.

SHRI M. M. JACOB: I thought you finished twice!

SHRI JASWANT SINGH: No, I havn't finished yet. These are two totally different matters. Is the Government coming forwarded with a Motion? Then, we would like to know the time when and the time allotted for its discussion. If the Minister is coming forward with a statement, as the Miniser of Parliamentary Affairs says, then are we to assume that this Motion is now withdrawn and no debate would take place? Even then, you would still like to do it. Nevertheless, at what time is the statement going to be made? We must regulate the rest of our business. I appeal to you, Sir, to extract a correct and definite reply from the Minister of Parliamentary Affairs.

SHRI M. M. JACOB: Sir, the Sri Lanka issue was raised in this House earlier, and Government expressed its interest in bringing a discussion in some form or other. So, we included it as the Motion, as the agenda item. (*Interruptions*).

You know, Mr. Malaviya, there were negotiations, discussions going on. We never wanted to embarrass either Government. We wanted to see that some positive results come out of the talks. That is why we were waiting, waiting for positive results out of the discussions.

Now I am in touch with the External Affairs Minister, and I will come back to you as soon as I get a definite reply about the time when he will be able to bring it and how much time he will be able to give.

SHRI KAPIL VERMA (Uttar Pradesh): It is not in national interest to discuss it today. (*Interruptions*)

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Nobody wants national Interest to be jeopardised. But who would be responsible for it if it is listed here? (*Interruptions*).

WORKING JOURNALISTS AND OTHER NEWSPAPER EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS (AMENDMENT) BILL, 1989—Contd.

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष जी, यद्यपि यह विधेयक अपने आप में अधूरा प्रयास है, फिर भी यह सही दिशा में प्रयास होने के कारण मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा पूर्ण समर्थन करता हूं मुझ इस बात का आनन्द है कि कल रात केन्द्र सरकार को... (*व्यवधान*)...

उप सभाध्यक्ष (श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी) : महाजन जी, आप जारी रखिए।

श्री प्रमोद महाजन : बीच में शर्मा जी चले गये, उनका भाषण सुनने के बाद मुझे यह लगा कि कल रात अचानक केन्द्र सरकार को पत्रकारों के महत्व का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने कार्य सूची में परिवर्तन करके इस मुद्दे को सबसे प्रथम लाया। चलो, देर में सही, लेकिन दुरुस्त साक्षात्कार हुआ। इस लिये मैं इस विधेयक का समथन करता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें दो राय नहीं है कि हिन्दुस्तान में स्वतंत्र पत्रकारिता है, जिस पर सारे देश को गर्व है, लेकिन उसके साथ यह बात भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की स्वतंत्र पत्रकारिता यह कांग्रेस सरकार की दया पर निर्भर नहीं है। दुनिया की कोई भी पत्रकारिता किसी भी सरकार की दया पर और उनके प्रावधानों से निर्भर नहीं होती। अगर इनका वश चले तो जैसा मेरे पूर्व सहयोगी ने कहा कि समाचारपत्रों पर दबाव लाने का जो प्रयास इन्होंने आपात स्थिति

(श्री प्रमोद महाजन)

में किया था या बदनामी विधेयक के द्वारा किया था, अगर अवसर मिले तो इन्हीं प्रयासों को फिर से लाने में यह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिये देश की स्वतंत्र पत्रकारिता का अगर किसी को श्रेय लेना है तो वह पूरे समाज को है, पत्रकारों को है, कांग्रेस सरकार को इसका कतई श्रेय नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने सहमति से अपने आपको संबद्ध करता हूं कि अच्छा होता, केन्द्र सरकार बछावत आयोग की सिफारिशों के संबंध में अपने मानस को भी इसी के साथ बता देती। पालेकर आयोग के अनुसार पत्रकारों वेतन और भत्तों में सुधार होकर अब 10 वर्ष बीत गये हैं। पांच वर्ष की लम्बी प्रतीक्षा के बाद बछावत आयोग की सिफारिशें आयी हैं। जहां तक पत्रकारों का प्रश्न है, बछावत आयोग की सिफारिशें अपर्याप्त और बहुत ही कम लगती हैं, लेकिन समाचार-पत्र मालिकों को यह नया बोझा असहनीय लगता है। मेरी अपनी राय में समाचार पत्र का उद्योग इस देश का एक नित्य विकसित उद्योग है। विगत 7 वर्षों में इस उद्योग को लगभग दो सौ प्रतिशत से भी अधिक लाभ हुआ है। हम देख रहे हैं कि इस देश में विज्ञापनों पर होने वाला खर्चा भी नित्य बढ़ रहा है। गत वर्ष हम ने पांच सौ करोड़ खर्चा किया। इस वर्ष एक हजार करोड़ विज्ञापनों पर खर्चा होगा और अगले साल ये डेढ़ हजार करोड़ होने की संभावना है। यह सच है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दूरदर्शन को जाता है। फिर भी समाचार पत्रों को मिलने वाला हिस्सा भी कम नहीं है। इस लिये समाचार पत्रों के मालिकों का यह कहना कि बछावत आयोग के कारण आने वाला बोझा हम सहन नहीं कर सकते, यह अपने आप में एक गलत अनुमान है। इसलिये पत्रकारों की मांगों को स्वीकार कर केन्द्र सरकार को इस संबंध में तुरन्त अधिसूचना जारी करनी चाहिये। प्रक्रिया के अनुसार सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद भी उस पर आपत्तियां सुनने का प्रावधान है और 5 साल की प्रतीक्षा के बाद जब आयोग की रपट आयी है तो डर और आशंका लगती है कि अधिसूचना में और समय बीत जाय। उसके बाद अगर आपत्तियों में समय बीत जाय तो हो सकता है कि साल-डेढ़ साल तक भी पत्रकारों को बछावत आयोग का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिये इस अधिसूचना को तुरन्त जारी करना चाहिये और इस अधिसूचना से कालहरण न हो इसकेलिये इसे समय में बांधना चाहिये। यह मेरा आग्रह है और इस दृष्टि से मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में इस पर जरूर कुछ प्रकाश डालेंगे।

उपसभाध्यक्ष जी, 21वीं सदी में समाचार पत्र चलाना अपने आप में एक बहुत खर्चीला काम हो गया है। स्वतंत्रता के पूर्व लोकमान्य तिलक जी हों, गांधी जी हों, डा० अम्बेदकर जी हों--ये समाचार पत्रों को साधन मानते थे। आज समाचार पत्र केवल साधन नहीं बचा है। वह अपने आप में साध्य बन चुका है। इसलिये 21वीं सदी का समाचार पत्र साम्राज्य है और साम्राज्य का वहन कोई सम्राट ही कर सकता है। इसलिये हिन्दुस्तान में कई उद्योगपतियों को इस क्षेत्र में आने की इच्छा हुई है, आ चुके हैं। जैसे एक और यह खर्चीला काम है वैसे दूसरी ओर से समाचार पत्रों की जो ताकत है, उस ताकत को देखते हुये राजनीतिक रुचि रखने वाले उद्योगपति इस क्षेत्र में नित्य आने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह धीरे-धीरे समाचार पत्र उनके उद्योग के साम्राज्य का ही एक हिस्सा बना है। जब भी कोई उद्योगपति इस क्षेत्र मे आए, सरकार किसी की भी हो, स्वाभाविक रूप से किसी की भी सरकार यह चाहेगी कि उसकी प्रशंसा अधिक हो और आलोचना कम हो। जब कोई उद्योगपति अपना समाचार पत्र चलायेगा तो स्वाभाविक रूप से उसके

वो अन्य उद्योग चलते हैं और उनके कारण सरकार को जो ताकत अन्य उद्योगों की पूंछ मरोड़ने को मिलती है, उसी शक्ति का उपयोग कर के वह समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को भी समाप्त करने का खतरा बनती है। इसलिये मुझे इसमें यह कहना है कि हमें कोई एक ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी कि जिसके कारण पूंजीपतियों या बड़े समाचार पत्रों में भी उनके संपादन विभाग अपने आप में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चले। महोदय, मेरी छोटी-सी जानकारी में फ्रांस में इसका प्रयोग हो चुका है जहां लामांद का संपादक अपनी बुद्धि के अनुसार परिस्थिति का विश्लेषण कर लिख सकता है और उसका मालिक उसको नित्य किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं देता। इस तरह लामांद एक उदाहरण है जो पेरिस में चलता है जहां कि मालिक अपने संपादक को स्वतंत्र रखता है। इस प्रकार का प्रावधान वहां बनाया गया है। और दूसरी ओर हमारे यहां "इंडियन पोस्ट" के सम्पादक को त्याग-पत्र क्यों देना पड़ा, इसकी कहानी हम सब जानते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि उद्योग-पतियों से मुक्त करने से सम्पादन विभाग निष्पक्ष रूप से आगे आएगा और पत्रकारिता अधिक निखरेगी। मैं आशा करता हूं कि सरकार इसपर भी विचार करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बिपुलभाई जोशीराज पटेल (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्री जी के ध्यान में कुछ सही चीजें लाना चाहता हूं।

बछावत कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होंने जो रिकमेंडेशन्स की हैं, वे इतनी कम हैं कि आज एक इन्श्योरेंस कम्पनी या बैंक या पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग के चपरासी को जितनी तनख्वाह मिलती है उससे भी कम रिकमेंड किया है। अब 850 रुपए, 1000 रुपए, या 1100 रुपए, एक बैंक का चपरासी 1600, 2000 रुपए तनख्वाह लेता है, बीमा कम्पनी के क्लर्क को 3000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह मिलती है, तो उनका भी पत्रकार गए गुजरे हैं क्या? अगर बछावत कमीशन यह मानता है तो मैं समझता हूं कि यह गलत बात है। दूसरी ओर 100 रुपए से 300 रुपए किराया, हाउस रेंट किया है। अब 100 रुपए या 300 रुपए में दिल्ली में कोई कमरा देगा, आप बताइए जरा? दूर रहे, दिल्ली में जो जर्नलिस्ट रहते हैं उनके लिए तो और भी मुसीबत है। पहले गवर्नमेंट उनको कुछ सबसिडाइज्ड रेट पर मकान देती थी, वह जनता गवर्नमेंट या जनता में आई उन्होंने बंद कर दिया, फिर हमने शुरू भी नहीं किया। तो इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि जो उनको पहले देते थे उसी तरह अगर वर्ल्ड इन्डड रेट पर मकान इस रूप में दे सकते हैं, तो यह रिकमेंडेशन ठीक है, लेकिन अगर नहीं दे सकते तो एक कमरा 500, 600 रुपए में भी दिल्ली में दूर-दूर तक नहीं मिलेगा। तो इसलिए यह रिकमेंडेशन मुझे ठीक नहीं लगती, इसमें सुधार करना चाहिए।

यह रिकमेंडेशनस जो होती हैं, उनका इम्प्लिमेंटेशन राज्य सरकारें करती हैं। अब कई राज्य सरकारें इम्प्लिमेंटेशन करने में इतनी हिचकिचाहट करती हैं कि जर्नलिस्ट्स को पचासी बार उनके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि मुख्य मंत्री जी जरा इम्प्लिमेंटेशन कराइए। तो इसके बारे में भी आपको कुछ करना चाहिए कि इम्प्लिमेंटेशन दो-तीन महीने में हो जाना चाहिए हरेक अखबार में, नहीं तो दूसरी कोई मशीनरी आप बनाइए या खुद सेंटर की मशीनरी उनके ऊपर ध्यान रखे। विरोधी दल के मेरे जो दोस्त हैं, वे फ्रीडम आफ प्रेस की बातें करते हैं। आप अपने स्टेट में रिकमेंडेशन जल्दी इम्प्लिमेंट कराइए, तब हम जानें। वहां आप अखबार के मालिक के साथ मिल जाते हैं और इम्प्लिमेंटेशन नहीं कराते हैं। मैं तो गारण्टी देता हूं कि हम लोग अपने स्टेट में देखेंगे कि इम्प्लिमेंटेशन अच्छीतरह से हो, लेकिन आप भी यह देखें।

[श्री विठ्ठलभाई मोती राम पटेल]

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आप लोग अखबार को क्लब कर रहे हैं, यह अच्छा है, जरूरी है, लेकिन आप से वह लोग ज्यादा होशियार हैं। अब उन्होंने क्या किया है ? मान लीजिए कि एक अखबार है तो उस अखबार की कम्पनी अलग, प्रिंटिंग प्रेस अलग, एडवर्टाइजिंग कम्पनी अलग, तीनों के कर्मचारी अलग, तो न उनको प्राविडेंट फण्ड एप्लाई होगा, न वेज एप्लाई होगा, कुछ नहीं होगा। तो यह लोग इस तरह से ब इफरकेशन करके अलग-अलग कम्पनियां बैठाकर इन्कम टैक्स में चोरी करते हैं, तनख्वाह में चोरी करते हैं, प्राविडेंट फण्ड नहीं देते उनको। तो इसके बारे में आप क्या करेंगे, यह भी आपको सोचना पड़ेगा नहीं तो आपका जो उद्देश्य जर्नलिस्टों को फायदा करने का, वह फायदा उनको नहीं मिलेगा। इसलिए इसके बारे में भी आपको कुछ सोचना पड़ेगा।

मुझे मंत्री जी को कहना पड़ता है कि उनके स्टेट में अभी जो एक जर्नलिस्ट को बिना कसूर के हथकड़ी लगाकर घुमाया और तीन चार दिन तक रखा, यह सही बात नहीं हुई है और पुलिस अधिकारी आपके इतने पावरफुल होते हैं कि मुख्य मंत्री के कहने के बावजूद भी उसको नहीं छोड़ा, तीन-चार दिन बाद छोड़ा। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, वह कोई भी पुलिस अधिकारी हो उस को सस्पेंड करना चाहिए। गैर-कानूनी उसको बंद किया और मुख्य मंत्री का आदेश भी नहीं मानता है। यह आपके स्टेट में हुआ, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप मुख्य मंत्री को कहिए कि कैसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ उसको एक्शन लेना चाहिए।

1 P.M.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : प्राइम मिनिस्टर को कहिये। लेबर मिनिस्टर क्या करेंगे इसमें।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : यह आपकी स्टेट है इसलिए कहता हूं। प्राइम मिनिस्टर इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप हमेशा कहते हैं ला एंड आर्डर स्टेट सब्जेक्ट है।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी) : आप इनसे क्यों बहस करते हैं। मेरी तरफ इशारा करके बोलिये।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : रीजनल प्रेस में, प्रादेशिक अखबारों में जो लोग काम करते हैं वे यहां कोई नहीं बोलते हैं बल्कि वे बांडेड लेबर की तरह काम करते हैं। उनको कोई आजादी नहीं है। रीजनल पेपर वाले इस बारे में बोल नहीं सकते। 5,7,8 या 10 साल पत्रकारिता में काम करने के बाद अगर उनको निकाल दिया जाए तो वे दूसरी जगह काम नहीं कर सकते इसलिए बांडेड लेबर की हालत में जिंदा रहते हैं। इसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए क्योंकि रीजनल अखबार में प्रादेशिक अखबार में इनको बिल्कुल आजादी नहीं होती मालिक को आजादी होती है।

यह जो बड़े अखबार हैं दिल्ली में हों, बम्बई में या किसी और बड़े शहर में हों जो विरोधी दल के बड़े समर्थक हैं वहां यह चलता है कि अगर कोई रिपोर्टर सरकार के खिलाफ कोई न्यूज नहीं भिलेगा तो उसको एक जगह बैठा दिया जायेगा। यहां उसको कोई आजादी नहीं है। जो वर्किंग जर्नलिस्ट्स हैं उनको आजादी नहीं है मालिक को आजादी है। मैं जानता हूं गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यह ठीक नहीं है इसको और सरकार को देखना चाहिए।

तीसरे यहां प्रधान मंत्री के साथ या राष्ट्रपति के साथ पत्रकारों को ले जाया जाता है। मैं कई सालों से देखता हूं कि ज्यादातर मालिक लोग जाते हैं। एक्चुअल वर्किंग जर्नलिस्ट्स बहुत कम जाते हैं। या तो कोई एडिटर जाता है या मालिक जाता है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि जो जर्नलिस्ट उस विभाग को देखता हो उसको ही इन्वाइट किया जाना चाहिए आप क्या करते हैं मालिक को इन्वाइट करते हैं तो मालिक जायेगा या उसका लड़का जायेगा। सही जर्नलिस्ट नहीं जाता/यह जो क्राइटेरिया है यह आपको बदलना चाहिए।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अखबार का एडिटर बनने के लिये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आपक

क्लर्क बनना है या बैंक में जाना है तो उसके लिये बी०ए० या बी०काम० आदि की क्वालिफिकेशन जरूरी है पर यहां एडिटर के लिये कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यहां पर अनपढ़ हो सकता है। इसके बारे में मंत्री जी को कोई न कोई क्वालिफिकेशन रखनी चाहिये। यह रखना चाहिये कि जो 5, 7 या 10 साल इसमें काम कर चुका हो वह एडिटर के लिये खड़ा हो सकता है। यह क्वालिफिकेशन आप को तय करनी चाहिये। यहां पर अनपढ़ एडिटर आ जाते हैं और उसके नीचे पढ़े-लिखे लोगों को काम करना पड़ता है। इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिये। मेरे ख्याल से यह जो बछावत कमीशन की रिपोर्ट है इसके इंपलीमेंटेशन में डिले नहीं करना चाहिये। जितनी जल्दी हो सके इसको इम्पलीमेंट कर देना चाहिये। इसमें सुधार भी करने की जरूरत है। इसमें जो एलाउसेंज रखे हैं वे इतने कम रखे गये हैं कि शर्म आती है। यह रिपोर्ट भी शर्मनाक है क्योंकि इतने कम एलाउसेज इसमें रखे गये हैं। आप जल्दी से जल्दी बछावत कमीशन की रिपोर्ट में सुधार करके इम्पलीमेंट कराइये।

SHRI GHULAM RAZOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Sir, today is Friday.

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, today is Friday and you have to adjourn the House at 1 o'clock.

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : श्री चतुरानन मिश्र के बोलने के बाद लंच होगा। आप बोलिये।

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA: Sir, today is Friday.

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : आप शुरू करिये।

श्री चतुरानन मिश्र : ठीक है, जैसा आप कहते हैं।

[श्री चतुरानन मिश्र]

बदलने में कोई खास दिक्कत भी नहीं होती है । अगर मान लीजिये कोई अखबार अपना नाम "दिनि सत्ता" रखे तो उसका नाम बदल कर "प्रभुसत्ता" रख सकता है, यह मालिक के हाथ में है और तब "दिनि सत्ता" और "प्रभुसत्ता" को कहियेगा कि ये सिमिलर नाम हैं, नहीं कहा जा सकता है। इसलिये कोर्ट इंटरफेयर करने लगेगा । उसी पेज 3 में सेक्शन 2 में सब-क्लाज 4 जो है उसमें लिखा है –

"....if a substantial number of partners of the firm together hold a substantial number of equity shares of the body corporate;"

सबस्टेंसियल की इस कानून के मातहत कहीं कोई डफिनिशन नहीं दी गई है । फिर यह मामला कोर्ट में चला जायेगा सबस्टेंसियल क्या होता है। इस बारे में आप जानते हैं कि 5 परसेंट और 10 परसेंट शेयर होने पर भी सबस्टेंसियल हो जाता और वे पूरी कम्पनी पर कमांड कर लेते हैं। हमारे श्रम मंत्री जी बिहार से आते हैं, वहां पर टिस्को कम्पनी है उसमें टाटा के शेयर चार या पांच परसेंट से भी कम है, लेकिन उनका पूरी कम्पनी पर कंट्रोल रहता है और कोर्ट कह दे कि यह सबस्टेंयिसयल शेयर नहीं है तो सबस्टेंसियल शेयर के लिये मंत्री महोदय को अगर वे श्रम के पक्ष में हैं तो फिर कोई बिल लाना पड़ेगा । इसलिये इसमें काफी लूपहोल्स नजर आये हैं, लेकिन फिर भी हमने एमेंडमेंट नहीं दिया है । हम चाहते हैं कि श्रम मंत्री जो जो खुद श्रमिक नेता रहे हैं, इस बात को देखेंगे और यह कानून जो वे बना रहे हैं इसमें इतने छेद हैं कि इसका जो उल्लघंन करने वाला है वह इन खिड़कियों से आसानी से निकल भागेगा और ये गेट पर पहरा करते हुये रह जायेंगे, इसका उनको ख्याल रखना चाहिये ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि बचावत कमीशन ने भी और वैसे भी उर्दू अखबारों के लिये जो कातिब लोग होते हैं वे काफी मेहनत करते हैं । मैं जानता हूं, कांग्रेस पार्टी भी उर्दू का अखबार निकालती है, मेरा भी उर्दू का अखबार निकलता है, कम्युनिस्ट पार्टी का भी उर्दू का अखबार निकलता है, इनमें ये कातिब लोग काफी मेहनत करते हैं । उनको भी इसके परव्यू में लाना चाहिये । अब एक नया सिस्टम चला है फिचर राइटर का । उनको भी इसके परव्यू में लाना चाहिये, उनके लिये भी कुछ किया जाना चाहिये क्योंकि वे लो पेड तनख्वाह पाने वाले तो नहीं कह सकते हैं, लो रिम्युनरेशन पाने वाले कह सकते हैं, उनको दिया जाता है । इस उद्योग में एक नई बात आई है । इस उद्योग के अन्दर में नई टेक्नोलाजी आई है । उसमें इलेक्ट्रानिक और दूसरी चीजों का जो इस्तेमाल होता है उसके चलते हेल्थ हैजार्ड होता है और स्वास्थ्य पर इसका काफी कुप्रभाव पड़ता है और कम्प्यूटराइज्ड होने से, जैसा कि आप जानते होंगे, प्रेगनेंट महिलाओं पर और भी ज्यादा कुप्रभाव पड़ता है । फारेन कन्ट्रीज में इस पर अनुसंधान किया गया है और उससे यह नतीजा निकाला गया है । बछावत कमीशन ने भी एक कमेटी बनाकर, दिलखुश कमीशन कह करके इसकी जांच की थी । एक तो हेल्थ सुविधायें यों ही जर्नलिस्ट को कहीं नहीं हैं । इसकी चर्चा अभी यहां पर कपिल वर्मा जी और दूसरे माननीय सदस्यों ने की हैं । लेकिन यह जो नया हेजार्ड पैदा हो गया है इससे तो उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। यह कैसे हो इस पर विचार किया जाना चाहिए । वैसे अभी हमारे देश में इस तरह के अखबार नहीं हैं जो, अगर कहीं पर लड़ाई हो रही है, तो स्वयं उनके जर्नलिस्ट वहां जायें, खतरे उठायें और वहां से खबरें दें । अभी तक हमारे देश में जर्नलिज्म इतना विकसित नहीं हो सका है । लेकिन फिर भी हमें ऐसा प्राविजन करना चाहिए कि अगर उनकी जान जाती है और बम्बार्डिंग में हमारे लोगों की जानें भी गई थीं, तो सुरक्षा की दृष्टि से इस संबंध में आवश्यक प्राविजन जरूर होने चाहिए।

मैं एक और बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जो कि इस बिल से थोड़ा अलग हटकर है। लेकिन माननीय सदस्यों ने इसकी चर्चा की है इसलिए मैं भी इसमें शरीक होता हूं। हमारे देश में अखबारों स्वतंत्रता है। लेकिन अखबार स्वतंत्र नहीं है। फ्रीडम आफ प्रेस है बट प्रेस इज नाट फ्री। प्रेस पर मोनोपलिस्ट का कब्जा है। इस संबंध में अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य ने चर्चा की है और वे भी कहते है कि हमारे अखबार स्वतंत्र नहीं हैं। हमारे देश में अखबारों के संबंध में यह निश्चित बात है कि सब अखबार फ्री नहीं हैं। Press is not free though therwe is freedom of press.

इस पहलू पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। यों तो इस पर बहुत दिनों से विचार हो रहा है लेकिन सरकार ऐक्ट नहीं करती है, इस पर कोई कदम नहीं उठाती है कि मोनोपली हाउसेज से अखबारों को कैसे डीलिंक किया जाये, कैसे अलग किया जाये। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उपसभाध्यक्ष महोदय, गंभीरता से इसलिए कि हम कम्युनिस्ट लोगों ने कम्युनिस्ट देशों में एक काम तो किया मोनोपली हाउसेज से अखबारों को स्वतंत्र कर दिया लेकिन वे स्टेट के अंडर आ गये। इसके बाद भी वे स्वतंत्र नहीं रहे। इसका हम लोगों को बहुत दिनों के बाद पता चला और इसलिए नये तरीके से वहां भी अखबारों को आजादी दी जा रही है। ग्लासनोस्ट हो रहा है। मैं सरकार से चाहूंगा कि सरकार इस संबंध में कोई जांच कमीशन बिठायें। इस तरह के कई देश हैं, अभी यहां पर फ्रांस की चर्चा की गई है लेकिन मेरे लिहाज से स्वीडन का तरीका अच्छा है। उन्होंने कोआपरेटिव बनाकर अखबारों को उनको दे दिया और वे इनको चलाते हैं। उनकी मान्यता है कि सत्य हो, ट्रुथ हो आधार होगा अखबारिता का। इसलिए मैं चाहता हूं कि देश और विदेशों में जो हमारा अनुभव है उसको देखते हुए अखबारों की स्वतंत्रता के बारे में कुछ नये तरीके निकालने की सख्त जरूरत है। आप स्वयं जानते हैं, शासक पार्टी के लोग कि जब आपको अखरता है तब सरकार रोकटोक लगाने की कोशिश करते हैं। डिफेमेशन बिल आप लाये थे लेकिन उसे जितनी जल्दी से लाए थे उससे भी ज्यादा जल्दी से आपने उसको वापस ले लिया। मेरा आपसे आग्रह है कि आप यह देखें कि हमारे अखबार आज किस तरह से हमारे राष्ट्रीय हित के विपरीत काम करने लगे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमको अपने अखबारों पर गर्व है। वे हमें तमाम सूचना देते हैं। अगर हिन्दू हमें सूचना नहीं देता, अगर अखबार इसको नहीं छापते तो बोफोर्स के बारे में आप भी कुछ नहीं जान सकते थे और न हम कुछ जान सकते थे। यह अलग बात है कि इसको जानने के बाद आपकी प्रतिक्रिया दूसरी है और हमारी प्रतिक्रिया दूसरी है। लेकिन इतना तो आप मानेंगे कि हमारे अखबारों ने इस मामले को हमारे सामने रखा। नहीं तो हम लोग यह नहीं जानते कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। महोदय, मैं यह कह रहा था कि जब अफगानिस्तान से सोवियत फौजें हट गईं तो दिन और रात हमारे अखबार वाले लिखते रहे कि आज अफगान सरकार गिरी, कल वह सरकार गिरे, दो हफ्ते में गिरी, तीन हफ्ते में गिरी,। लेकिन जब नहीं गिरी तो तब भी वे पश्चात्ताप नहीं करते हैं। कि उन्होंने सारे राष्ट्र को भ्रम में रखा। इतना भी नहीं कहते हैं कि किसी ने हम को गलत सूचना दी। यह तो हमारे राष्ट्र हित के बिल्कुल विपरीत चला जाता है। इसी तरह से निकारागुआ के बारे में है। हम अनेक उदाहरण दे सकते हैं जब हमारे देश के अखबार साम्राज्यवादी चालों को बिना समझे हुए राष्ट्रहित को बिना समझे हुए उस अस्त्र में चले जाते हैं। इसी तरह से अभी जो अमरीकन ट्रेड सुपर 301 आया है उस में भी आप प्रतिक्रिया को देखिए। कई अखबारों ने गलत ढंग से शुरू में प्रतिक्रिया दे दी जैसे कि वह देश के लिए जरूरी काम हो। इस तरह से मैं चाहता हूं कि यह जो गलत सूचना आती है मिस-इनफारमेशन जो होता है जो हमारे अखबार देते हैं उसे रोका जाये। (समय की घंटी) अभी दो तीन मिनट और दे दीजिए। मैं अंत में संक्षेप में एक

[श्री चतुरानन मिश्र]

को बात कहना चाहता हूं कि अखबारों को स्वतन्त्रता का अपहरण करने में सरकार अभी भी संलग्न है । अभी शासक पार्टी के एक माननीय सदस्य ने कहा कि धनबाद के एक पत्रकार को हथकड़ी लगाई गई, सब के सामने मारा पीटा गया और मुख्य मंत्री के आदेश देने पर भी पुलिस वाले छोड़ नहीं रहे थे तो आप समझिये कि कोई दूसरा सुपर मुख्य मंत्री है हमारे वहां जो ऐसा कर रहा है । यह तो होता ही है । एक बात और होती है सरकार के विपक्ष में कोई अखबार लिखे मैं इसका भुक्तभोगी हूं कम्युनिस्ट पार्टी के अखबारों पर बिहार में ऐसा होता है । हमारे अखबारों को विज्ञापन नहीं दिया जाता है और विज्ञापन का पैसा भी सरकार समय पर चुकाती नहीं है तो हम कैसे अखबार चलावें, बोलिये । जो बड़े बड़े मालिक लोग हैं उनके कई उद्योग धन्धे हैं वहां से पैसा ले कर या बैंक भी उनको पैसा देंगे, बहुत बातें होती हैं लेकिन जो गरीबों, मजदूरों और गरीब किसानों के हित में अखबार चलता है उसको विज्ञापन का पैसा समय पर नहीं दिया जाता है तो अखबार कोलेप्स करने लगेगा और गवर्नमेंट ऐसा कराने का बार बार प्रयास करती है। मैं चाहता हूं अगर कोई जांच कमीशन बैठे तो वह इस बात की जांच करे कि कम से कम ऐसे अखबार जो श्रमिकों, किसानों, जनसाधारण के लिए काम करते हैं उनको टाइम्ली आप विज्ञापन का पैसा दें । विज्ञापन हथकंडा नहीं बने सरकार का बल्कि उचित विज्ञापन उनको दिया जाए। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा यह अनुभव है । अभी जो अखबारों की स्थिति हो गई है न्युजप्रिंट का दाम बढ़ गया है नयी नयी मशीनें आ गई हैं और अखबारों के संबंध में नयी टेक्नोलोजी इंट्रोडयुस हो रही है और पुरानी जितनी मशीनें थीं वह सभी आऊट-आफ डेट हो गई हैं । पुरानी मशीनों को रखने से अखबार नहीं चलाया जा सकता है। इसमें परिवर्तन करने की, माडर्नाइजेशन करने की जरूरत हो गई है। इससे कास्ट और बढ़ेगी । कास्ट बढ़ने से ऐसा हो गया है कि कोई अखबार का मालिक यदि अनफेयर लेबर प्रेक्टिस नहीं करे और अनफेयर बिजनेस नहीं करे तो अखबार कोलेप्स करने की स्थिति में पहुंच जाता है । छोटे-छोटे और स्थानीय भाषाओं के अखबार जितने हैं उनकी स्थिति खराब हो गई है। लेकिन जो जनरल अखबार हैं कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि वह दूसरे उद्योगों से इस में पैसा लगाते हैं । यह बात नहीं है कि अखबार उद्योग में अब ज्यादा प्रोफिट नहीं है । इसमें हाई प्रोफिट है 17 परसेंट, 18 परसेंट इससे भी ज्यादा प्रोफिट होता है । इसलिए यह खुद एक इंडस्ट्री बन गया है । मुनाफा भी हो जाता है और जनमानस पर पब्लिक ओपिनियन पर कंट्रोल करने का भी साधन हो जाता है और जब उसके हाथ में पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल करने का साधन आ गया तो हमारे मन्त्रिगण भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं । अर्जीबोगरीब स्थिति हो गई है । इसलिए इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए । एक बात और मैं कहना चाहता हूं । मैंने आपसे पहले ही कह है कि अखबार उद्योग में जो तनख्वाह वगैरह मिल रही है वह दूसरे बड़े उद्योगों से कम है । इनकी तनख्वाह और दूसरी सुविधाएं कम हैं अगर्चे यह प्रोफिट दूसरे उद्योगों से, कोल, सीमेंट, फर्टिल इजर आदि उद्योगों की चर्चा मैंने की थी स्टील उद्योग से भी ज्यादा मुनाफा बड़े बड़े अखबार वालों को होता है लेकिन हाई प्रोफिट रहने पर भी लो वेजेज देते हैं और दूसरी सुविधाएं नहीं देते हैं । एक अखबार उद्योग में एक नया तरीका निकाला है कंट्रेक्ट सिस्टम का एक अजीब सिस्टम यह है न प्रोविडेंट फण्ड देंगे, न बोनस देंगे न और कुछ देंगे। लेकिन हाई अमाउंट वे कुछ लोगों को दे देते हैं जिनके जरिये ट्रेड यूनियन को भी कमजोर कर देते हैं और समाचार को भी, अपने हिसाब से सम्पादकीय को भी कंट्रोल करते हैं और चूंकि इसमें ज्यादा पैसा देते हैं इसलिए अन्य लोग भी उसके शिकार होते हैं । आखिरी बात आपसे यह यह कहना चाहूंगा कि अखबारों का जो दाम बढ़ रहा है उससे जनसाधारण अब इसको नहीं खरीद सकता है, इतने दाम बढ़ते चले जा रहे हैं । आप सारी बातों की चर्चा तभी करते हैं लेकिन जनसाधारण पढ़े भी तो अखबार

खरीद भी तो सके । इसलिए इसका भी कोई प्रोटेक्शन हो, कम से कम अखबारों को कागज आदि सब्सीडाइज्ड रेट पर दिया जाये, इस तरह की व्यवस्था की जाये ताकि जनसाधारण इसको खरीद सकें।

एक बात आखिर में फिर दोहराना हूं। हमने इस बिल का पूरा समर्थन किया है पूरा सदन ही इसका समर्थन कर रहा है लेकिन लागू करना तो आपके हाथ में है। हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ लूपहोल्स हैं जिनकी मैंने चर्चा की है। कानून के जरिये आप इनको नहीं रोक सकेंगे लेकिन कुछ व्यवस्था कीजिए। यह मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि हमारा श्रम मंत्रालय जो है उसको दांत नहीं हैं। मंत्री को दांत नहीं है वह अलग बात है हमको भी दांत नहीं है लेकिन श्रम मंत्रालय को दांत नहीं हैं ... (व्यवधान) मंत्री जी आपको तो दांत हैं लेकिन आपके मंत्रालय को दांत नहीं हैं। आप पकड़ नहीं सकते हैं किसी पूंजीपति को, कुछ नहीं कर सकते हैं। जिनके दांत हैं वह होम मिनिस्ट्री है वही कुछ कर सकती है या दूसरे लोग कुछ कर सकते हैं इसलिए इनका सहारा लेकर करें, नहीं तो आपका हो या वेल्फेयर मंत्री जी का विभाग हो, इन लोगों के दांत ही नहीं हैं, बिना दांत के मंत्रालय ये सब हैं। इसलिए दांत वाले भी मदद करें ताकि जल्दी से जल्दी वेजबोर्ड कमीशन अमेंडेड रूप में जो बहुत जरूरी है उसको लागू किया जा सके यही मैं अनुरोध करूंगा, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): Before I call Mr. Kulkarni, I have to make an announcement.

Shri Santosh Mohan Dev Minister of State in the Ministry of Home Affairs, will make a statement regarding the Bodo situation and the Prime Minister's speech on the Independence Day, at 3 p.m. and 3.30 p.m., respectively, in the Rajya Sabha today.

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय) उपसभाध्यक्षजी आज वर्किंग लिस्ट में बहुत ज्यादा है और मेरा अनुरोध है कि अगर लंच ब्रेक न हो तो हमारे मेम्बर भी ज्यादा पार्टिसिपेट कर लेंगे और विजनेस अधिक से अधिक हो सकता है। इसलिए आज लंच ब्रेक को नहीं किया जाये।

SHRI M. A. BABY: This is Friday. We have a convention in relation to Friday. Therefore my submission is that it is not fair to suspend the lunch hour. We can sit late, if necessary. Even we should take up the great, revolutionary Panchayati raj Bill also, about which the Government is not very enthusiastic.

डा. रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): चलने दीजिए। लंच को ब्रेक कर दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. सत्यनारायण रेड्डी): बैठ जाइये। कुलकर्णी जी को बोलने दीजिए इसके बाद डिसाइड कर लेंगे।

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am supporting the Bill brought forward by the Government. I am particularly vedy happy that the Government has found time, and is going fast today so that it can become a law in the near future.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I reciprocate some of the views expressed by my colleague, Mr. Chaturanan Mishra, because I also found out—it is for the Minister to find out... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): No side-discussions, please.

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, there may be two or more newspaper establishments publishing newspapers bearing the same or similar titles and in the same language in any place in India or bearing the same or similar titles but in different languages in the same State or territory. Perhaps it might be misused. It is for the Ministry to decide how far it can go as a valid proposition legally.

[Shri A. G. Kulkarni]

Mr. Vice-Chairman, Sir, the second aspect of this Bill about which I am very much worried is about the condition of the newspaper reporters in this country. One instance of Bihar was cited. I made a Special Mention to tell the House how the Bihar mafia and the Police together have beaten a newspaper correspondent. Similarly, in Punjab the terrorists have killed some of the newspaper vendors, thereby indirectly putting a pressure on the owners not to publish the newspaper. This is not a proper way because thereby you contain the freedom of the press. So I take objection to it. How far is the Home Ministry going to stop this nonsense? The same is the position in Delhi. We were told that threatening calls are made by some politicians to the Editor of a newspaper. This is also a way of bringing in constraints on the freedom of the press.

Another aspect which was brought in is the newsprint prices. I am a member of the Newsprint Committee. But I could not understand how these prices are fixed. There was a very valuable scheme evolved by the Government about the imported newsprint and the Indian newsprint.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): What is the function of your committee?

SHRI A. G. KULKARNI: The function of the committee is to advise the Government on newsprint policy. We are alluting more newspaper to the district level small newspapers. But by and large, the position is that the prices of newspapers and particularly of the indigenous newspapers are rising fantastically. I would request the Minister to convey my feelings to the Minister of Information and Broadcasting or to the Minister of Industry. He should put some controls so that the prices come down. Otherwise nobody can afford to buy a paper costing Rs. 1.50, or Rs. 2.00 or Rs 4.00 or Rs. 5.00. In this way, an intellect constraint comes on the the spread of information in the country.

Sir, I support the Bill. I feel that the newspaper scribes and the media men were paid very little wages. Therefore, the quality of the content was always at a discount. But if the payments are properly made and are commensurate with the living standard, then perhaps the content value and the content credibility of the newspaper scribe will increase. In this connection also, I support the Bill.

I find that in this country the political atmoshpere is so vitiated and the newspapers are taking sides. One is here and one is there and they are attacking each other not amongst themselves but attacking the politicians in their warfare. In this way, the political shadrness is further being polished. It is not a proper sign of the independence of the newspapers and news service. I think that what Mr. Chaturanan Mishra said was about the corporate organisers or the corporate chiefs starting various newspapers and controlling various newspapers. Mr. Vice-Chairman, Sir, I have got an apprehension that a day might come when the corporate organisers becoming richer and richer day by day will try to keep a control on the Government. I am very much apprehensive of this attitude of the industrial world. So, a way has to be found out. Actually, in France, 'Le Monde' is really a co-operative newspaper organisation. But how far co-operative organisations in this country are thriving. I do not know I have no information because in my own district one was started but it was stopped later. Unfortunately, they could not work. Perhaps, the Minister for Labour will find a way out. This is another way of starting competition against this corporate world. The co-operative character of a newspaper with massive aid from the Government may, perhaps, help to bring in a rational view. Now, Sir, what we see is that during the last

four or five years—it was there previously but it was in a trickle—scandal-mongering has increased, and the developmental aspect of the country is finding less space in the news content of the newspapers nowadays. You have the advertisements, then these scandals. And the developmental aspect or whatever it is the environmental aspect, the employment generation programmes, the programmes of the farming community, all these do not find a place in the news content of the newspapers. So, for that purpose, I think, the newspapers should be helped or some way should be find out whereby the developmental activity which is taking place in this country finds a place because the price of the newsprint is too much and many newspapers have reduced their pages. Except one or two, most of the newspapers have reduced the pages. Sir, I would think that the control of the corporate world over the newspaper may ultimately endanger the political system in this country. And for that purpose some other system must be worked out. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): The House stands adjourned for lunch till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at thirty-four minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty minutes past two of the clock, **The Deputy Chairman** in the Chair.

WORKING JOURNALISTS AND OTHER NEWSPAPER EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS (AMENDMENT) BILL, 1989—Contd.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): Madam Deputy Chairman, I want to make one thing clear on behalf of the Government that the Government is very keen to pass the Constitution Amendment Bills relating to the Panchayati Raj as well as the Nagar Palikas, and of course the other Constitution Amendment Bill is there.

The two Bills are of historic significance. They will usher in this country very basic crucial changes like participatory democracy and involvement of people. Therefore we are attaching the highest importance to them. Now, because we are attaching the highest importance to them, we want to see that the Opposition in this House—whatever we have heard them—do not seem inclined to support such a radical forward-looking revolutionary measure. And we want to pass it to the best of our capacity. Therefore we are neither running away from the debate nor from voting and therefore we are not putting it to vote today and we would rather have it in the next sitting of the Rajya Sabha, whenever it takes place.

Meanwhile I would appeal to the opposition to think twice before they make up their mind, so that they will get a chance to think that they should not oppose such radical measures. (*Interruptions*).

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Madam, I am on a point of order. The Hon. Minister, Mr. Bhagat, stated that the Opposition should think twice about this Panchayati Raj Bill. (*Interruptions*). Madam, it is very clear that the Government has bungled in this because they wanted to extend the session only for the purpose of considering and passing the Bills. But then they had second thoughts, because some of their calculations went wrong. Then they developed cold feet. (*Interruptions*). Mr. Bhagat, please.

Mr. Bhagat, please, you know very well that day before yesterday we very clearly stated from the opposition side that we are prepared to discuss the Bills even sitting late in the night